

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि. प्रा०(II) भूमि- 5/2017-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,पटना

विषय- सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत शिवहर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु रैयती भूमि सतत् लीज नीति के तहत शिवहर जिलान्तर्गत अंचल-पिपराही, ग्राम-छतौना, पंचायत-मोहनपुर, थाना नं.-112, के विभिन्न खेसरा एवं खाता नं. में कुल रकवा 7 (सात) एकड 53.5 डीसिमल रैयती भूमि के अर्जन हेतु रू. 2,91,72,000=00 (दो करोड़ इक्यानवे लाख बहहतर हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि समाहर्ता, शिवहर को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने समाहर्ता, शिवहर के पत्रांक-469/रा., दिनांक 05.07.2017 एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक-2492, दिनांक 12.10.2017 के आलोक में सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत शिवहर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु रैयती भूमि सतत् लीज नीति के तहत शिवहर जिलान्तर्गत अंचल-पिपराही, ग्राम-छतौना, पंचायत- मोहनपुर, थाना नं.-112, के विभिन्न खेसरा एवं खाता नं. में कुल रकवा 7 (सात) एकड 53.5 डीसिमल रैयती भूमि के अर्जन हेतु रू. 2,91,72,000=00 (दो करोड़ इक्यानवे लाख बहहतर हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि समाहर्ता, शिवहर को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष- 02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष -105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या- 43, उपशीर्ष-0106- अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 53 02 भू-अर्जन विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा उसे बैंक ड्रापट के माध्यम से समाहर्ता, शिवहर को उपलब्ध करायी जायेगी। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. विमुक्त राशि का व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) भूमि- 5/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) भूमि- 5/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) भूमि- 5/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, शिवहर को उनके पत्रांक- 469/रा, दिनांक 05.07.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) भूमि- 5/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- आयुक्त, तिरहूत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(II) भूमि- 5/2017-

2981

/पटना, दिनांक-

15/12/17

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक/संयुक्त निदेशक (वि.)/उप निदेशक (यो)/ उप निदेशक (क.)/अवर सचिव/ विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.17

सरकार के उप सचिव

15/12/17

2981.17